छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिह भवन, रायपुर

कमांक 641/419/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 21 जून, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषयः-- फर्जी परिपत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना ।

इस पत्र के साथ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए एक तथाकथित परिपत्र दिनांक 28 मई, 2010 जिसका विषय ''संविदा नियुक्ति का निर्धारण'' की छायाप्रति संलग्न है । उक्त परिपत्र के संबंध में कृपया सूचित हों कि उक्त परिपत्र छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है । **उक्त परिपत्र फर्जी है तथा उस पर अवर सचिव के हस्ताक्षर भी फर्जी है** ।

2/ ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती व्यक्ति द्वारा संभवतः स्वार्थवश श्री एम. एम.मिंज, अवर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार कर इसको भेजा गया है ।

3/ अतः आदेशानुसार निवेदन है कि यदि संलग्न तथाकथित फर्जी परिपत्र आपके विभाग/कार्यालय में प्राप्त हुआ हो तो, उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की जाय । यदि आपके कार्यालय में तथाकथित फर्जी परिपत्र प्राप्त हुआ हो, तो वह कब एवं किस माध्यम से प्राप्त हुआ है, इस संबंध में भी कृपया जानकारी इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 310
23/6/10

पृ.कमांक 642/419/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 21 जून, 2010

प्रतिलिपिः–

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाईंट, रायपुर,
03. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
05. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
06. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग रायपुर,
07. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
08. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
09. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
11. मुख्य निर्वाचान पदाधिकारी, रायपुर,
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
14. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
15. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
16. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सा.प्र.वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 01 प्रति सहित प्रेषित,
17. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त कक्ष मंत्रालय, रायपुर,
18. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट **www.cg.nic.in/gad** में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/6/10

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प.
श्री नेताम / [illegible]
[illegible]
10.6.10

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
डी.के.एस.भवन, रायपुर 492001

2010/1/3

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

प्रति,
[illegible]
[illegible] विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ शासन
सा.प्र.वि. कक्ष-3
पंजी क्र. ....215....
दिनांक .... 10/6/2010 ....

विषय:— संविदा नियुक्ति का निर्धारण।

—0—

शासन के ध्यान में संविदा नियुक्तियों के नियमितीकरण बाबत अनेक विभागों से ध्यानाकर्षण प्राप्त हुए हैं व कई विभागों के द्वारा इस संबंध में कार्यवाही भी की गई है। शासन द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन वित्त विभाग के साथ किया गया। परीक्षण उपरांत निष्कर्ष प्राप्त हुए :—

1. शासन द्वारा पेंशन प्रक्रिया संशोधित कर दी गई है। जिसके तहत वर्ष 2004 से होने वाली नियुक्तियों को नए पेंशन नियम के दायरे में रखा गया है। जिससे सेवानिवृत्ति उपरांत आजीवन देय पेंशन समाप्त हो चुकी है।

2. चूंकि संविदा के साथ—साथ सभी नियुक्तियों को जारी रखने की एक समान शर्त— पद की उपयुक्तता एवं कर्मचारी की कार्य क्षमता है, तदनुसार ही नियुक्ति जारी रखी जा सकती है। अतः संविदा नियुक्ति एक वैधानिक नियुक्ति है।

3. छ.ग. संविदा नियुक्ति नियम—2004 के अनुसार संविदा नियुक्ति को वेतन के रूप में फिक्स्ड पे देय है, जबकि शेष लाभ यथा— चिकित्सा, यात्रा, अवकाश, गृह भत्ता आदि समान रूप से देय है। जिससे नियमितीकरण उपरांत वित्तीय भार बढ़ने की संभावना क्षीण है।

अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संविदा नियुक्ति को निम्न प्रक्रिया के अनुसार नियमित करना सुनिश्चित करें।

वे समस्त संविदा नियुक्ति कर्मी नियमित होंगे जो कि नियमित पद के विरूद्ध नियुक्त किए गए हों अथवा जिस संविदा नियुक्ति के पद को वर्तमान में नियमित पद घोषित किया जा चुका हो।

किसी योजना, परियोजना या शासकीय अथवा अन्य वित्तीय संस्था से अनुदान प्राप्त कार्यक्रम के तहत नियुक्त संविदा कर्मी नियमित नहीं किए जा सकेंगें।

वे संविदा नियुक्त कर्मी प्राथमिकता के आधार पर पहले नियमित होंगें जो कि शासन द्वारा भर्ती के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर गए हों। उपरोक्त के संबंध में यदि संविदा के पद उपलब्ध न हों तब अन्य किसी पद पर योग्यता के आधार पर संविदा कर्मी को नियमित किया जा सकता है।

वे संविदा कर्मी नियमित होंगें जो कि न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा वर्तमान में भी भले ही कलेक्टर अथवा विभागीय पारिश्रमिक दर पर कार्य कर रहे हों।

समस्त विभागाध्यक्ष / नियोक्ता को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संविदा नियुक्ति को नियमितीकरण करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात पूर्व के संविदा नियुक्ति को नियमित नहीं करने / अथवा करने संबंधी पत्र स्वयं निरस्त माने जावें।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. एम. मिंज)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 19–1/2010/1/3 रायपुर, दिनांक 28.5.2010

प्रतिलिपि :-

राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ राजभवन, रायपुर।
सचिव, छत्तीसगढ विधानसभा, जीरो पाइंट, रायपुर।